



अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०प्र०  
Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow, U.P.

पत्रांक: 77 / 22 / सम्बद्धता / अ०बि०वा०चि०वि० / 2021

दिनांक: 07 जुलाई 2021

सेवा में,

समस्त निदेशक/प्राचार्य,  
राजकीय तथा निजी मेडिकल कालेज/डेंटल/नर्सिंग/पैरामेडिकल कालेज,  
उत्तर प्रदेश।

विषय: अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ के अधिनियम संख्या 42 सन् 2018 के क्रम में विभिन्न कालेजों/संस्थाओं की सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ द्वारा जारी परिपत्र सं०-प००१/अ०बि०वा०चि०वि०/2020 दिनांक 17 दिसम्बर का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि उ०प्र० शासन द्वारा अधिनियम संख्या 42 सन् 2018 के माध्यम से लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। विश्वविद्यालय में विभिन्न मेडिकल/डेंटल/नर्सिंग/पैरामेडिकल कालेजों में नये पाठ्यक्रम/कोर्स हेतु सम्बद्धीकरण से सम्बन्धित कार्यवाही गतिमान है।

उक्त अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में सरकारी और निजी प्रबन्धककृत चिकित्सा, दन्त विज्ञान, परिचर्या, पराचिकित्सा आदि से सम्बन्धित संस्थानों को सम्बद्ध करना तथा उनकी परीक्षाएं संचालित कर परिणाम घोषित करना व उपाधि प्रदान करना शामिल है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ अधिनियम दिनांक: 15 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी है। उक्त अधिनियम के प्रभावी होने के उपरान्त नर्सिंग/पैरामेडिकल कालेज नये सत्र (2020-21, 2021-22 तथा अग्रेतर) तथा राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेंटल कालेज सत्र (2021-22 तथा अग्रेतर) से अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ से सम्बद्धता के लिए अर्ह होंगे। इसी क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि उ०प्र० राज्य के सभी राजकीय व निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज, सभी स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज तथा ऐसे चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सा विश्वविद्यालय जिन्हें केन्द्र सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से डीम्ड विश्वविद्यालय/संस्थान घोषित नहीं किया गया है, वे सभी अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ से सम्बद्धता के लिए अर्ह होंगे।

स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए उपरोक्त परिपत्र के अलावा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय के समस्त कुलसचिवगण को इस विश्वविद्यालय के पत्रांक 29/कुलसचिव/2021 दिनांक 07.01.2021 के माध्यम से सूचित किया गया था। सुलभ सन्दर्भ हेतु परिपत्र तथा उक्त पत्र की प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या: 51/कुलसचिव/अ०बि०वा०चि०वि०/2021 दिनांक 19 जून 2021 तात्कालिक प्रभाव से निर्गत किये जाने की तिथि से निरस्त एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाता है।

भवदीय,  
07-7-21  
(अनिल कुमार सिंह)  
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ -

- अपर मुख्य सचिव, मा० श्री राज्यपाल, उ०प्र०, लखनऊ।
- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र०, 6वां तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
- सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली।
- सचिव, डेंटल काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली।
- सचिव, इन्डियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली।
- सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, सर्वपल्ली मार्ग, माल एवन्चू, लखनऊ।
- समस्त कुलसचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय को सूचनार्थ।
- निजी सचिव, मा० कुलपति जी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।

Dr. ARCHANA CHOUHAN

रजिस्ट्रार

9<sup>th</sup> floor, Academic Block, Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Vibhuti Khand, Lucknow- 226010.  
Email: vcabvmuup@gmail.com, web: www.abvmuup.edu.in

BABA EDUCATIONAL SOCIETY  
COLLEGE OF NURSING  
INSTITUTE OF PARAMEDICALS  
56, MATIYARI DEVA ROAD  
CHINHAT, LUCKNOW-226028

07-7-21





# College of Nursing


Managed by Baba Educational Society  
*Institute of Para-Medicals*




## ADMISSION CRITERIA

**Minimum qualifications for admission are as per INC Regulation: -**

1. Candidates with Science who have passed qualifying 12th Standard examination (10+2) and must have obtained a minimum of 45% marks in Physics, Chemistry and Biology (PCB) taken together and passed in English individually from any recognized board.
2. In respect of candidates belonging to SC/ST/OBC the marks obtained in 3 core subjects shall be 40% instead of 45% for General Category candidates.
3. English is a compulsory subject in 10+2 for eligibility for admission in B.Sc. Nursing.
4. Candidates are also eligible from State Open School recognized by State Government and National Institute of Open School (NIOS) recognized by central government having Science subjects and English only.
5. Auxiliary Nurse & Midwifery on the basis of intermediate marks (minimum 40%) any stream.

  
(R. K. Vajpayee)  
Director


  
Dr. ARCHANA CHOUHAN  
PRINCIPAL  
BABA COLLEGE OF NURSING  
INSTITUTE OF PARAMEDICALS  
56, MATIYARI DEVA ROAD  
CHINHAT, LUCKNOW-226028






# College of Nursing


Managed by Baba Educational Society  
*Institute of Para-Medicals*



## RESERVED CATEGORIES

It is declare that our Institute being a Private affiliated from ABVMU & UPSMF and received benefit admission through counseling Process from the Government University is liable to follow policy during admissions of seat for various categories.

  
Dr. ARCHANA CHOUHAN  
PRINCIPAL  
BABA COLLEGE OF NURSING  
INSTITUTE OF PARAMEDICALS  
56, MATIYARI DEVA ROAD  
CHINHAT, LUCKNOW-226028

  
(R. K. Vajpayee)  
Director